सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड सरकार

दूरभाष : 0657-2431255
: 0651-2482701
158, धालभूम रोड, साकची
जमशेदपुर-831 001
402, लोटस अपार्टमेन्ट
डोरन्डा, राँची-834 002

पत्रांक – 1115/12-05/196

दिनांक 5/12/2005

प्रेस को भी

सेवा मे,
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय : स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे जुस्को द्वारा बनाई जा रही सड़क (तथाकथित मेरिन ड्राईव) तथा उसके कारण हटाई जानेवाली बस्तियों और भवनो के सम्बन्ध मे।

महोदय,

आपको स्मरण होगा कि प्रासंगिक विषय के संदर्भ मे आपसे पूर्व में एकाधिक बार बातचीत हुई है। इस बारे मे जुस्को अधिकारियों से भी समय समय पर मेरी बातचीत होती रही है। बातचीत के कम मे ऐसा लगते रहा है कि सड़क निर्माण और बस्तियों एवं भवनों के निवासियों के पुनर्वास/क्षतिपूर्ति की समस्या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगी। इस बीच ऐसे कुछ घटना कम सामने आए हैं जिनके कारण यह विषय उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस सन्दर्भ मे निम्नांकित बिन्दु विचारणीय प्रतीत होते है।

1) मूल प्रश्न यह है कि तथाकथित मेरिन ड्राईव निर्माण का उदेश्य क्या है? मेरी समझ से इसके दो ही उदेश्य हो सकते है। एक, जमशेदपुर नगर पर से यातायात का बोझ कम करना। इसमे मुख्य रूप से शामिल है कि नगर के भीतर से आदित्यपुर पुल की ओर जानेवाले तथा आदित्यपुर की ओर से आकर मानगो पुल से बाहर जानेवाली भारी यातायात वाहनो को नगर के भीतर से नही गुजरना पड़े और इनकी यात्रा बाहर ही बाहर सम्पन्न हो जाए। इस उदेश्य है के परिप्रेक्ष्य मे यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि इस सम्पूर्ण यात्रा पथ मे इस सड़क की लम्बाई किस स्थान पर कितनी होगी। जो बस्तियाँ या भवन इस सड़क के कारण उजड़ रहे है उनके निवासियो के इस तर्क मे दम प्रतीत होता है कि सड़क की जितनी चौड़ाई साकची मे जुबिली पार्क, चिड़िया खाना और वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के बीच होगी और जितनी चौड़ाई आदित्यपुर के पुल के समीप होगी उससे काफी अधिक चौड़ाई अन्यत्र नहीं होनी चाहिए।

इस बीच मैंने जुस्को के पदाधिकारियो से तथा जिला प्रशासन के कतिपय पदाधिकारियो से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है कि सम्पर्क पथ का ले–आउट एवं एलाइन्मेंट क्या है? इसका अगर कोई प्लान है तो वह क्या है? ताकि यह पता चल सके कि सड़क निर्माण के कारण हटाई जानेवाली बस्तियों और भवनों को चिन्हित करने की प्रकिया किस प्रकार निर्धारित की गई है। परन्तु मुझे इस बारे मे कोई ठोस जानकारी नही प्राप्त हो सकी। मुझे लगता है कि इस विषय मे जुस्को और जिला प्रशासन को पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भाटिया पार्क के आगे से जयप्रभा और गीतांजली कम्पलैक्स को बाई–पास कर पुनः इस सड़क को नदी किनारे ले जाने के रास्ते मे जो अवरोध हैं उन्हें दूर करने की दिशा मे क्या कार्रवाई जुस्को और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है? क्योंकि इन अवरोधों को दूर किए बिना सड़क निर्माण का उदेश्य पूरा नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड सरकार

दूरभाष : 0657-2431255
0651-2482701
158, धालभूम रोड, साकची
जमशेदपुर-831 001
402, लोटस अपार्टमेन्ट
डोरन्डा, राँची-834 002

दिनांक 2005

पत्रांक

दूसरा उदेश्य दोनो नदियों के किनारा क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण हो सकता है। अगर यह उदेश्य भी है तो किन स्थानों पर सौन्दर्यीकरण के कौन कार्य किए जाएंगे और जहॉ स्लैग डंपिंग हुई है वहॉ से नदी तक नीचे जाने के लिए और डंपिंगक्षेत्र को हरा–भरा करने के लिए क्या किया जा रहा है इस बारे मे भी स्पष्ट जानकारी आवश्यक प्रतीत होती है। विगत छठ व्रत के समय गॉधी घाट सहित अन्य स्थानों पर श्रद्वालुओं को काफी कठिनाइयॉ उठानी पड़ी थी। इसलिए सड़क के एलाइन्मेंट के साथ इन और ऐसे कतिपय अन्य बातों पर भी गंभीरता से विचार आवश्यक प्रतीत होता है।

2) टाटा लीज के अन्तर्गत जिन वैसी 86 बस्तियों की सूची प्रकाशित की गई है, जिन्हें टाटा लीज से मुक्त कर दिया गया है, उन बस्तियों मे एक रामजनमनगर बस्ती भी है। इसके अतिरिक्त श्यामनगर, रामनगर, शास्त्रीनगर, निर्मल बस्ती, पाण्डे बस्ती, बागे बस्ती, आदि बस्तियों का जिक्र है। ये सभी बस्तियॉ तथाकथित मेरिन ड्राईव के निर्माण से प्रभावित हो रही हैं। रामजनमनगर के कई पक्के भवनों पर जिला प्रशासन और जुस्को द्वारा उन्हें तोड़ने के लिए चिन्ह लगाए गये है। ऐसे स्थानों पर सड़क चौड़ाई काफी अधिक बताकर चिन्ह लगाये गये है, जिसके कारण काफी अधिक परिवार प्रभावित होंगे। ऐसे स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और इसका अनुपात साकची के समीप चिड़ियाघर के पास और आदित्यपुर पुल के पास सड़क की चौड़ाई के साथ क्या है क्या होना चाहिए इस पर गौर किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। सड़क निर्माण से प्रभावित होनेवाले बस्तियो और भवनों की उचित और आवश्यक संख्या की गणना के लिए भी यह आवश्यक है। जिन्हें हटाना आवश्यक है वही हटायें जाए और जिनका टूटना जरूरी है वही टूटे, अन्य नहीं।

3) जो 86 बस्तियॉ टिस्को लीज से बाहर की गई है और इनके ही समान स्थिति वाली जो अन्य बस्तियॉ हैं क्या प्रशासन उनको अतिक्रमण मानता है? विशेष परिस्थिति मे किसी आवश्यक कार्यवश इन्हें हटाये जाने का हालात पैदा होने पर इनके प्रति प्रशासन का नजरिया क्या होगा? इससे प्रभावित परिवार किसी भी प्रकार के पुनर्वास/क्षतिपूर्ति का हकदार होंगे या नही? और अगर होंगे तो इसका आधार क्या होगा? इस बारे मे एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आज तथाकथित मेरिन–ड्राईव बनाने के लिए रामजनमनगर सहित जिन अन्य बस्तियों को हटाने की नौबत आ रही है, उसी प्रकार की नौबत अन्य क्षेत्रों की शेष बस्तियों के साथ भी आगे आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष परिस्थिति मे आ सकती है।

4) प्रशासन को यह भली–भॉति मालूम है कि इन 86 बस्तियों को टाटा लीज से बाहर करने की पृष्ठभूमि और परिस्थिति क्या रही है। कतिपय संस्थाओं द्वारा लम्बे समय से की जा रही मालिकाना हक की मॉग इसका प्रमुख कारण रहा है। यहॉ इसके विस्तार मे जाना प्रासंगिक नही प्रतीत हो रहा है कि इन 86 बस्तियों को और इनके समान वैधानिक स्थिति वाली अन्य बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मामले मे सरकार के स्तर पर फिलहाल क्या सोच है और इस दिशा मे कितनी प्रगति हुई है। फिर भी इस मॉग की गंभीरता मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार है। अबतक यह मॉग रखनेवाले भले ही आज शिथिल प्रतीत हो रहे हों, परन्तु इस सन्दर्भ मे यह मांग उठाने वालो के लिए जिम्मेदारी से बचना आसान नहीं होगा। तथाकथित मेरिन ड्राईव निर्माण के संदर्भ मे 86 बस्तियों मे ही किसी एक या एक से अधिक बस्तियों को हटाने के मामला को विस्तृत परिप्रेक्ष्य मे देखा जाना चाहिए और पुनर्वास/क्षतिपूर्ति के नीतिगत पहलू की अनदेखी नही की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस बारे मे कोई भी निर्णय जिला स्तर पर संभव नही है तो विषय की गंभीरता को देखते हुए इस बारे मे राज्य सरकार का मार्ग दर्शन प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा।

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड सरकार

दूरभाष : 0657-2431255
0651-2482701
158, धालभूम रोड, साकची
जमशेदपुर-831 001
402, लोटस अपार्टमेन्ट
डोरन्डा, राँची-834 002

पत्रांक

दिनांक 2005

आशा है कि उपरलिखित सभी बिन्दुओं के बारे मे यथासंभव और तथाकथित मेरिन ड्राईव के ले—आउट, अलाइन्मेंट और उदेश्य के बारे मे पूर्णतः पारदर्शिता बरते जाने के मेरे विचार से आप असहमत नहीं होंगे और नियमानुसार यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(सरयू राय)

प्रतिलिपि : 1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची।
3. प्रबंध निदेशक, जुस्को, जमशेदपुर।

(सरयू राय)